- 1 -

112

न्यायालय राजस्व न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र .... 2012 निगरानी – 2209-PBR/12

डॉ. बंसत सिंह राजपूत पुत्र विश्वनाथ सिंह राजपूत, जाति राजपूत, उम्रः 67 वर्ष, धन्धा कृषक, निवासी किले के अंदर विदिशा (म.प्र.)

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय विदिशा जिला -विदिशा (म.प्र.)
2. श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री राज बहादुर सिंह निवासी किले अंदर विदिशा (म.प्र.)

16/7/12
Sanjay Kumar Mishra (Adv.)
संजय कुमार मिश्रा, अभि॰
16.7.12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकित 28.06.2012 जो प्रकरण क्रमांक 90ए/2012/2011-12 में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश एवं सूचना पत्र दिनांकित 05.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा एक वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु रामप्रताप सिंह आदि के विरूद्ध दिनांक 13.10.2006 को द्वितीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग-2 जिला विदिशा के समक्ष यह अभिवचन करते हुये प्रस्तुत किया था कि निगरानीकर्ता आराजी क्र. 59 रकवा 1.829 हैक्टेयर, आराजी क्र. 60 रकवा, 3.104 हैक्टेयर, आराजी क्र. 72 रकवा 1.662 हैक्टेयर एवं आराजी क्र. 75 रकवा 0.596 हैक्टेयर जो ग्राम उदयगिरि पटवारी हल्का नं0 49 तहसील व जिला विदिशा में स्थित है। के उपर निगरानीकर्ता विगत् 30-35 वर्षो से काबिज होकर विरोधी आधिपत्य के आधार पर भू- स्वामित्व के स्वत्व अर्जित कर लिये है, एवं उसी आधार पर निगरानीकर्ता के पक्ष में जयपत्र पारित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया है जो द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के समक्ष विचाराधीन है।

2. यहकि, वाद विचारण दौरान रामप्रताप सिंह द्वारा अनावेदक क्र.2 के पक्ष में दिनांक 03.07.2009 को भूमि का अंतरण कर दिया, एवं निगरानीकर्ता को जैसे ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई निगरानीकर्ता द्वारा अनावेदक क्र. 2 को उक्त व्यवहार वाद में प्रतिवादी क्रमांक 3 के रूप में पक्षकार बनाये जाने हेतु एवं उक्त भूमि के अंतरण को शून्य एवं अवैध घोषित किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अनावेदक क्रमांक 2 को उक्त व्यवहार वाद में प्रतिवादी क्रमांक 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

PRAKASH CHANDRA GUPTA 2398 MP/16 30/08/98 NOTARY GWALIOR (M.P.) INDIA

P. C. GUPTA
Notary
Gwalior (M.P.)
Mob. 9425166399

[redacted]

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2209–पीबीआर/12 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार द्वारा प्र0क0 90ए/2012/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28–6–12 एवं सूचनापत्र दिनांक 5–7–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में ग्राम उदयगिरी स्थित भूमि खसरा नं. 59 एवं 60 के सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को लिखित बहस पेश करने हेतु समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण उनके द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदकों के तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । 4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा निगरानी आवेदन में मुख्य आधार यह लिया गया है कि स्वत्व घोषणा हेतु व्यवहार वाद लंबित है अतः सीमांकन की कार्यवाही उक्त व्यवहार वाद के निराकरण तक	

निग0 - 2209. PBR/12 (प्रतिवेदन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया जाना न्यायोचित नहीं है । आवेदक द्वारा दिया गया उक्त तर्क न्यायोचित नहीं है क्योंकि प्रत्येक भूधारक को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार है और यदि किसी न्यायालय में उस भूमि के बारे में वाद, कार्यवाही लंबित है तब भी सीमांकन की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है, इस संबंध में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 1998 आर0एन0 318 एवं अन्य न्यायदृष्टांत अवलोकनीय हैं । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही सीमांकन कार्यवाही को रोका जाना न्यायोचित नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	